TERMS & CONDITIONS FOR RATE CONTRACT OF
Surgicla/Kit & Reagent/Consumables

सचिव इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा रायपुर
BID REFERENCE NO. IRCS RAIPUR/
Surgicla/Kit & Reagent/Consumables

निविदा प्रपत्र

सर्जिकल/किट एण्ड रिएजेन्ट कन्ज्युमेबल क्रय कार्य हेतु
निविदा आमंत्रित

इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा , जिला रायपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए **सर्जिकल/किट एण्ड रिएजेन्ट/कन्ज्युमेबल क्रय** हेतु संबंधित कार्यो में शामिल फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्तों के लिए कार्यालय के वेबसाइट का अवलोकन करें। निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि 1000/– (एक हजार रू मात्र) इंडियन रेडकास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा रायपुर के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट कर निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय में कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है, उक्त राशि वापसी योग्य नही है। निविदा प्रपत्र भरकर स्थानीय कार्यालय में केवल रजिस्टर डॉक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से नियत तिथि (फार्म भरने की अतिम तिथि तक) जमा /भेजना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र खरीदने की अंतिम तिथि :– 18.01.2024 – समय शाम 5.30 बजे तक

- निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :– 17.01.2024 – समय अपरान्ह 3.00 बजे तक
- निविदा खोले जाने की अंतिम तिथि :– 18.01.2024 – समय अपरान्ह 04.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि एवं समय में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित किया जा सकता हैं, जिसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा कर दी जाएगी।

कार्यालय वेब साइट – **www.cgredcross.org**
टेलीफोन नंबर – 0771– 2435400 एवं 2880111

22/12/23

सचिव
इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी
छ.ग. राज्य शाखा–रायपुर

- टिन नंबर एवं जी.एस.टी. नंबर।
- पेन कार्ड नंबर (मुख्य प्रवर्तक का)
- बेहतर सप्लाई / कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र (दिये हुए प्रारूप में)
- (Turn Over) (Turn Over) तीन वित्तीय वर्ष का न्यूनतम राशि 05 करोड़ या उससे अधिक का प्रमाण पत्र (विक्रय प्रमाण पत्र विक्रय कर अधिकारी अथवा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य हैं)
- निर्माता कंपनी द्वारा प्रदत्त अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर प्रमाण पत्र
  सर्जिकल / किट एण्ड रिएजेन्ट / कन्ज्युमेबल
- अधिकृत एजेंसी का आई.एस.ओ., सी.ई., बी.एस. प्रमाण पत्र निविदा जारी होने के दिनांक से पूर्व का होना अनिवार्य है।
- तीन साल का लेखा परीक्षा एवं अंतिम विवरण संबंधी दस्तावेंज।
- **बीस हजार रू (20000.00 रू)**रूपये का अमानत राशि राष्टीयकृत बैंक से एफ.डी.आर के रूप जमा करना अनिवार्य होगा जो कि **इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा** रायपुर के पक्ष में देय होना चाहिए संलग्न करना होगा।

7. सफल निविदाकारों के द्वारा **डेढ लाख रू (150000.00 रू)** राशि राष्टीयकृत बैंक से एफ.डी.आर के रूप में ई. एम.डी. सुरक्षा निधि का छोड़कर सभी प्रमाण पत्रों की स्पष्ट छायाप्रति की सत्यापन तिथि एवं पदमुद्रा सहित सत्यापित कराकर जमा करना अनिवार्य हैं। अमानत राशि / सुरक्षा निधि हेतु चेक / डिमांड डॉफ्ट मान्य नहीं होगा।
8. क्रय समिति आपके द्वारा छायाप्रति के रूप में जमा किये गए दस्तावेजों के मिलान हेतु मूल प्रति से करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं। आवश्यकतानुसार मुल प्रति जमा करायी जा सकती है।
9. तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) खुलने के दिन निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि (अधिकृत प्रमाण पत्र सहित) उपस्थित हो सकते हैं।
10. तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) में सभी सामग्री का कंपनी सर्टिफाईड प्रोडक्ट कैटलॉग होना अनिवार्य है।
11. शासकीय संस्थाओं में कन्ज्यूमेबल सामग्री / सर्जिकल सामग्री / किट / रियेजेण्ट आपूर्ति का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। तत्संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
12. वित्तीय 3 वर्षो का (Trun Over) होना अनिवार्य है।
13. Joint Venture मान्य नही होगा।
14. निविदा में प्रत्येक मद आईटम की इकाई दर राज्य अथवा केन्द्रीय शासन के द्वारा प्रतिबंधित दर एवं अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नही होना चाहिए। **इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा जिला रायपुर** / जिला स्वास्थ्य समिति रायपुर छ.ग. का शासकीय प्रतिबंधित दर (Govt. Price Control) के अनुरूप प्रस्तावित दरों में संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यह स्वंविवेकी अधिकार निविदाकार के प्रति प्रदाय दर में परिवर्तन नही किया जावेंगा।
15. प्रदान किये जाने के अनुबंध होने के बाद प्रदायकर्ता किसी भी कारण से प्रदाय दरों में अनुबंधित अवधि के दौरान दर के बाद प्रदायकर्ता किसी कारण से प्रदाय दरों में अनुबंधित अवधि के दौरान प्रदाय दर में परिवर्तन नही कर सकेगा।
16. उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक हैं कि प्रदाय की जाने वाली **सर्जिकल / किट एण्ड रिएजेन्ट / कन्ज्युमेबल** नमूना देखने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।
17. दर का निर्धारण दिये नये प्रारूप में ही अलग अलग अंकित करें। शासन के नियमानुसार बेसिक दर से अतिरिक्त देयक के साथ कर टैक्स की मान्य होगा। सरकार किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य व्यय मान्य नही होगा।
18. स्वीकृत निविदाकार द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा समाप्ति तक जमा रखा जावेगा। जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा तथा अस्वीकृत निविदाकार के अमानत राशि 30 दिवस के उपरांत लिखित आवेदन पत्र के बाद वापस किया जाएगा।

19. यदि निविदाकर्ता दी गई अवधि कार्य आदेश के 30 दिनों में कार्य पूर्ण नही करता है तो आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। जिस पर किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। एल 1 संस्था (न्युनतम दर वाली संस्था) के द्वारा क्रय आदेश के विरूध्द सामग्री निर्धारित समयवधि में प्रदाय न किये जाने की स्थिति में यदि इस कार्यालय को एल2 फर्म/खुले बाजार से उक्त वस्तु उच्च दर पर क्रय करनी पडती है तो क्रय की गई सामग्री की उंची दर अंतर की राशि की कटौती एल 1 दर वाली संस्था को देय राशि/सुरक्षा निधि से समायोजन किया जावेगा।

20. निविदाए खोली जाने के बाद निविदाकार को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रुटि के लिए सुधारने का अवसर नही दिया जावेगा। उक्त को अपूर्ण निविदा जानकर निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

21. अनुबंध की शर्तो का पालन नही करने पर निविदाकार को अगले पांच वर्षो के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

22. निविदा समिति को किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के दर्शाए किसी एक अथवा सम्पूर्ण निविदा को स्वीकारने अथवा निरस्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं।

23. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) के समस्त दस्तावेजो में एवं प्राईस बीड में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नाम लिखा अनिवार्य हैं।

24. कोई भी निविदाकार किसी ऐसे मद आईटम के लिये दरें नही प्रस्तुत करेगा। जिन्होनें पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन अथवा शासन द्वारा काली सूची में रखा गया हो निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

25. निविदाकर्ता यदि आदेश में दर्शायी कंपनी को बदलकर अन्य कंपनीयों को सामग्रीयॉ प्रदाय करता हैं तो इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा को उसकी निविदा /अनुबंध को तत्काल समाप्त करने का अधिकार रहेगा। तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकर्ता को भविष्य में 05 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।

26. यदि कोई उत्पादन किसी कंपनी के एकल स्वामित्व का हो तो, उसका एकल स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

27. संबंधित संस्था को एफ.आई.आर. तथा शासन द्वारा काली सूची (Black listed) नही होने का शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

28. <u>भुगतान व्यवस्था:—</u>

1. **इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा** जिला रायपुर छ.ग. आदेश के विरूद्ध भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी होगे।
2. प्रदाय आदेश के विरूद्ध कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
3. भुगतान माल का बिल की प्राप्तकर्ता के प्रपत्रों के आधार पर ही किया जावेगा।
4. भुगतान पूरी तरह से छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत ही किया जावेगा।
5. अग्रिम राशि अथवा प्रतिभूति राशि के विरूध किसी किस्म का ब्याज देय नही होगा।
6. यदि प्रदायगी टूटफूट अथवा हानि की स्थिति में प्राप्त होती है तो उसे अस्वीकार कर दिया जावेगा।

उपरोक्त निविदा की शर्तो के उल्लघंन करने पर जुर्माना किया जा सकेगा। अमानक स्तर की सामग्रीयों को 30 दिन के भीतर बदलकर देगा यदि प्रदायकर्ता ऐसा नही करता है तो उसे काली सूची में रखा जायेगा। और 5 वर्ष के लिए इस कार्यालय की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

29. विशेष शर्तेः–

1. सभी प्रदायगी मूल पदाय पत्र व इनवाईस के साथ होना चाहिए छायाप्रति स्वीकार नही होगी।
2. नाम एंव उपनाम बड़े एंव स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
3. प्रदायगी से संदर्भित पत्र व्यवहार मुद्रित होना चाहिए।
4. दावा आपत्ति निराकरण दिवस में इच्छुक निविदाकार को निविदा संबंधी प्रस्तुतीकरण तय समय में देना होगा।

30.**आवश्यकतानुसार/आपातकालीन स्थिति में किसी भी संस्था से न्यूनतम दर पर क्रय किया जा सकता है, जो कि निविदाकर्त्ता को मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा**

31. स्वीकार निविदा को रूपये 100.00 के व्यावसायिक मुद्रांक पर इकरारनामा नोटरी से अभिप्रामणित कर प्रस्तुत करना होगा किः–

1. मैं निविदाकर्ता ....में निहित कंडिका 01 से 53 तक के सभी शर्तो का अक्षरांश पालन करूंगा।
2. यदि मेरे द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण कराये जाने की स्थिति में व्यय की राशि का भुगतान मेरे द्वारा किया जावेगा तथा निम्न स्तर की पायी गयी तो अमानत राशि राजसात कर एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
3. मेरे द्वारा निविदा शर्तो का पालन नही करने पर संस्थान द्वारा मेरे उपर नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जाती हैं उसके लिए मैं सहमत रहूंगा/सहयोग करूंगा और कोई भी आपत्ति नही करूंगा निविदा शर्तो का पालन नही करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
4. निविदा में दरें स्वीकृत होने पर निविदा की सम्पूर्ण अवधि तक मैं उन्ही दरों पर सामग्री प्रदाय करूंगा।
5. निविदा किसी भी चरणों में समिति द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
6. निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदाकर्ता कें पास सुरक्षित है।
7. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,जिला रायपुर किसी भी फर्म से एल 1 दर पर क्रय किये जाने हेतु स्वतंत्र है। उक्त के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं———————————— अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

32.केवल पंजीकृत निर्माता कंपनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं जिसके पास ड्रग लाइसेंस/जी एस टी नम्बर/सेल टेक्स नम्बर तथा डबलु.एच.ओ.जी.एम.पी. सर्टिफिकेट धारक हो के द्वारा ही भरे जावें।

33.औषधियॉ केमिकल की विशिष्टता/ पैकिंग संबंधी जानकारी स्पष्ट की जावे, एवं प्रत्येक उत्पाद की पैकिग में बैंच नं. निर्माण तथा अवसान तिथि स्पष्ट अंकित होना चाहिए।

34. प्रत्येक निविदा दाता को अमानत राशि राष्टीयकृत बैंक से एफ.डी.आर इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा रायपुर के पदनाम से जमा करना होगा। एफ.डी.आर के अलावा किसी अन्य प्रकार के जमा की गई अमानत राशि /सुरक्षा निधि स्वीकार नही की जावेगी। असफल निविदाकर्ता को अमानत राशि /सुरक्षा निधि वापस कर दी जावेगी, एवं सफल निविदा कर्ता की अमानत राशि एंव सुरक्षा निधि निविदा की वैध तिथि तक जमा रखी जावेगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

35. केवल छ0ग0 प्रदेश की लघु एवं कुटीर उघोग ईकाई जो उघोग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रियाओं में भाग लेने समय केवल सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जायेगी। उक्त छूट हेतु प्रदेश की लघु एवं कुटीर उघोग ईकाई जो उघोग विभाग में पंजीकृत है,सर्टिफिकेट जमा किया जाना आवश्यक होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किन–किन औषधि उपकरण एंव सामग्री का निर्माण किया जाता है,की सूची उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

36. केमिकल्स/अन्य सामग्री हेतु निविदाकर्ता अधिकार पत्र जिस वर्ष के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, उसी वर्ष का संलग्न करें। पुराने वर्ष का अधिकार पत्र मान्य नहीं होगा।बजट की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुरूप

औषधियॉ, केमिकल, उपकरण एवं सामग्री आदि का कय किया जावेगा ,उक्त के कय किये जाने की अनिवार्यता/बाध्यता नहीं होगी।

37. निविदा में औषधि की दर राज्य या केन्द्र शासन के द्वारा निर्धारित दर एवं अधिकतम खुदरा मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रदाय की गई औषधि की सेल्फलाइफ न्यूनतम 80% होनी चाहिये अन्यथा स्वीकार नहीं की जावेगी।

38. निविदा अनुमोदित दरें, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष तक तथा अधिकतम 18 माह के लिए मान्य होगी।उक्त निविदा **इंडियन रेडक्रास सोसायटी छ.ग. राज्य शाखा रायपुर** के अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं के लिये मान्य होगा।

39. निविदा प्रक्रिया/क्रय प्रक्रिया में छ.ग. शासन के भंडार क्रय नियम के नियमों का अनुसरण किया जावेगा। क्रय हेतु आदेशित किट एवं रिएजेन्ट अथवा सामग्री आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस अथवा क्रय आदेश के अनुरूप कार्यालय भंडार शाखा में प्रदाय करना होगा। आदेश प्राप्ति एवं प्रदायगी की जानकारी 7 दिवस के अंदर किया जाना आवश्यक है। अन्यथा आदेश स्वमेय निरस्त माना जावेगा। समयावधि में केवल एक ही बार वृद्धि की जावेगी। समय पर प्रदान न करने की दशा में विलम्ब से प्राप्त सामग्री को स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर वापस ले जाना होगा। क्रय आदेश मे निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नही किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से पेनाल्टी के साथ वसूल की जावेगी तथा तीन माह के बाद आदेश निरस्त किया जावेगा।

40. किट एवं रिएजेन्ट की गुणवत्ता की जॉच एवं परीक्षण मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रयोगशाला से कराया जाकर, देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं जिसका व्यय भार संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। निविदाकर्ता उपरोक्त की जॉच स्वयं के स्तर से कराये जाने हेतु स्वतंत्र होगा, एवं यह व्यय भार निविदा दाता को वहन करना होगा। किट एवं रिएजेन्ट मानक स्तर से कम निम्न स्तर गुणवत्ता का पाये जाने पर किसी भी तरह का भुगतान रोकते हुए उपयोग की गई मात्रा के भुगतान की वसूली की जावेगी। और मानक स्तर से कम गुणवत्ता में होने वाले नुकसान की जिम्मेवारी निविदा कर्ता की होगी। औषधियॉ/केमिकल्स /अन्य सामग्री मानक स्तर से कम निम्न स्तर गुणवत्ता का पाये जाने पर अमानत राशि राजसात करना एवं ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। कंपनी को न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्टेड किया जावेगा।

41.समय–समय पर शासन से प्राप्त निर्देशानुसार, उपलब्ध आबंटन से औषधियॉ /केमिकल्स एवं सामग्री, उपकरण जिले की आवश्यकतानुसार ही क्रय की जावेगी। क्रय की मात्रा में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।

42.आपात स्थिति में न्यूनतम दर पर किसी भी निर्माता कम्पनी से अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से औषधियॉ/केमिकल्स आदि क्रय किये जाने हेतु निविदा कर्ता स्वतंत्र रहेगा और इस संबंध में किस प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जावेगा।

43.किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय ही स्वीकार होगा। किसी भी प्रकार के कानुनी विवाद की स्थिति में प्रकरण रायपुर जिला न्यायालय के अधीन होगा।

44.निविदा केवल रजिस्टर्ड ए.डी. अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा ही दिनांक **17.01.2024 को सायं 3.00** बजे तक ही प्राप्त की जावेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 18.01.2024 **को सायं 4.00 बजे** क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में खोली जावेगी जिसमें निविदा कर्ता/प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

45.क्रय समिति के द्वारा निविदा शर्तों में आवश्यकतानुसार संशोधन /शिथिलीकरण किया जा सकेगा जो आप सभी को स्वीकार्य होगा।

46. निविदाकर्त्ता फर्म /प्रोपराइटर का छ0ग0 चेम्बर आफ कामर्स में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

47. निविदा में प्रतिभागी फर्म /प्रोपाराइटर को खाद्य एंव औषधि प्रशासन विभाग से जारी **non Conviction certificate** को अनिवार्य रूप से जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा अमान्य की जावेगी।

48. यदि किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा लगातार 03 बार क्रय आदेश के विरूध्द सामग्री/दवा की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड की कार्यवाही की जावेगी। ब्लैकलिस्टेड न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा।

49. अपीलीय कमेटी –क्रय समिति ही अपीलीय कमेटी होगी।

50. **संलग्न–** LIST Of MEDICINES/INSTRUMENTS/EQUIPMENTS/KITS/CONSUMABLE ITEM ।

51.निविदा हेतु आवश्यक प्रपत्र –

1.निर्माता लायसेंस/अधिकृत वितरक एजेंसी संबंधी दस्वतावेज जीवित प्रमाण पत्र एंव जीवित ड्रग लाइसेंस।

2.चुकता ब्रिकी प्रमाण पत्र–2020–2021,2021–22,2022–23

3.शासकीय संस्थाओं में किये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र

4.खाद्य एव औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किये गये non Conviction certificate की प्रति।

5.शपथ प्रत्र दिये हुये प्रारूप में।

6.गुमास्ता लाइसेंस।

7.प्रदेश की लघु एंव कुटीर उद्योग इकाई में पंजीयन की प्रति।

8.छ0ग0 चेम्बर आफ कामर्स में पंजीयन की प्रति।

9. पेन कार्ड एंव जी0एस0टी नंबर

10.टर्न ओवर से संबंधित दस्तावेज।

11. जी0एस0टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति।

12. जी0एस0टी चुकता प्रमाण पत्र

13. रु. 1000/– डी.डी. नामे सचिव इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, छ.ग. राज्य शाखा, रायपुर

सचिव
इंडियन रेडक्रास सोसायटी
छ.ग. राज्य शाखा
रायपुर (छ.ग.)

Annexure-I

Technical Bid

(In Separate sealed cover-I super scribed "Technical Bid")

S.No.	Details of the Tenderer/Bidder	Page No.	Remarks
1	Name and Address of the Tenderer/Bidder		
2	Complete Address:		
3	State clearly whether it is sole proprietor or Partnership firm or a company or a Government Department or a Public Sector Organization		
4	Details of the Earnest Money Deposit (EMD) (Yes/No) FDR No: Dated: Drawn on Bank: Amount: (Rupees...)		
5	Details of the cost of the Tender documents (Yes/No) DD No: Dated: Drawn on Bank: Amount: (Rupees...)		
6	Whether each page of NIT and its annexure have been signed and stamped		
7	Whether Bidders have quoted for each and every item mentioned in Financial Bid (Yes/No) (If No, then please attach a list of quoted items with the Technical Bid without indicating price)		
8	Permanent Account No.		
9	Sale Tax Registration No		
10	TIN No.(Copy must provide)		
11	Email ID		
12	Contract No.		
13	GST No. (Copy Attach)		

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

Annexure – III

दर भरें जाने का प्रारूप

नोटः–

1. निविदाकर्ता को निविदा दर स्पष्ट अक्षरों में टंकण (टाइपिंग) तथा भारतीय रूपये में लिखा जाना चाहिए।
2. किसी भी अन्य शर्तो के लिये जिसका उल्लेख किया जाना निविदाकर्ता आवश्यक समझता हैं, निविदा में उल्लेख आवश्यक रूप से करें।

SCHEDULE OF QUANTITY - PART 'C'
Major Component – Surgical/Kits & Reagent Consumables

TENDER FOR FOR THE YEAR -2023

PRICE BID PROFORMA

Submitted by M/s.. To C.M & H.O. RAIPUR (C.G.)

Item Code	Name of Article	unit pack	Rate per unit	CGST	SGST	Total Rate per unit (4+5+6)	short name of mfg .co
1	2	3	4	5	6	7	8

Secretary
Indian Red Cross Society CG State Barnch
Dist- Raipur (C.G.)

INDIAN RED CROSS SOCIETY CG STATE BRANCH, RAIPUR (C.G.)

SURGICAL / KIT & REAGENT FOR THE YEAR 2024
PRICE BID PROFORMA

Submitted by M/s.. To C.M & H.O. RAIPUR (C.G.)

Item Code	Name of Article	unit pack	Rate per unit	Amount of CGST	Amount of SGST	Total Rate per unit (4+5)	short name of mfg .co	Make & Model
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Secretary
Indian Red Cross Society CG State Barnch
Dist- Raipur (C.G.)

Annexure – II

CERTIFICATE

(To be submitted on letter head of the company/firm)

I/We hereby certify that the above firm has not been ever blacklisted by any Central/State Government/Public Undertaking/Institute on any account. I/We also certify that firm will be supplied the item as per the specification given by Institution and also abide all the terms & conditions stipulated in tender. I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, any contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any state, the firm will be blacklisted and Institute may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :